सं.11012/15/2016-स्था.क-III
भारत सरकार
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-III डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 18 जून, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण पर वेतन का विनियमन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम II में निर्धारित निम्नलिखित शास्तियों का अधिकारी के वेतन पर प्रभाव पड़ता है:

11. शास्तियां

.....

छोटी शास्तियां-

(iii)(क) वेतन के समय-मान में किसी निम्नतर स्तर पर तीन वर्ष से अधिकतम की अवधि के लिए संयची प्रभाव के बिना और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक स्तर तक अवनति।

(iv) वेतन वृद्धि रोकना।

बड़ी शास्तियां

(v) खण्ड (III)(क) में यथा उपबंधित के सिवाए, किसी विशेष निर्धारित अवधि के लिए वेतन के समय-मान को किसी निचले स्तर तक घटाना और साथ ही ये दिशा-निर्देश देना कि क्या सरकारी सेवक ऐसे वेतनमान में स्तरावनत किए जाने की अवधि के दौरान वेतन-वृद्धि अर्जित करेगा अथवा नहीं और यह कि क्या ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर यह स्तरावनति उनके वेतन की भावी वृद्धि को मुल्तवी करेगी अथवा नहीं करेगी।

(vi) शास्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए किसी निम्नतर वेतन के समय-मान, श्रेणी, पद या सेवा में अवनति जो ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उस वेतन के समय-मान, श्रेणी, पद या सेवा पर सरकारी सेवक की प्रोन्नति के लिए वर्जन होगी जिससे उसे अवनत किया गया था, और इन निदेशों के साथ कि क्या उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के उपरांत प्रोन्नति होने पर-

(क) वेतन के समय-मान, श्रेणी, पद या सेवा में अवनति की अवधि उसके वेतन की अगली वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए संचालित होगी अथवा नहीं और यदि हां तो किसी सीमा तक होगी; और

(ख) सरकारी सेवक उच्चतर वेतन के समय-मान, श्रेणी, पद या सेवा में अपनी मूल वरिष्ठता वापस प्राप्त करेगा या नहीं;

2. दिनांक 25.07.2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 72 (1) (अ) के तहत अधिसूचित केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के माध्यम से वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन की मौजूदा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 की अनुसूची के भाग 'क' के अधीन यथाविनिर्दिष्ट वेतन-मैट्रिक्स की एक नई प्रणाली की शुरुआत की गई है।

अब तक, ग्रेड वेतन द्वारा निर्धारित होने वाली किसी कर्मचारी की स्थिति, अब वेतन मैट्रिक्स में स्तर द्वारा निर्धारित होगी। इसके अलावा, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 (1) के अनुसार, वेतनवृद्धि प्रदान करने की मौजूदा तारीख 1 जुलाई के स्थान पर अब दो तारीखें नामतः प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी तथा 1 जुलाई होती हैं।

3. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के खंड 3 के अनुसार 'स्तर' को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया हैः

'वेतन मैट्रिक्स में 'लेवल' का आशय अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट मौजूदा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान का समरूपी लेवल' होगा।"

4. संशोधित (वेतन) नियमावली, 2016 के कार्यान्वयन के आलोक में, इन शास्तियों के अधिरोपण पर वेतन के विनियमन पर आगामी पैराओं में चर्चा की गई हैः

<u>क. एक स्तर द्वारा वेतन के निचले स्तर में अवनति {नियम 11 (iii क)}</u>

इस नियम के अंतर्गत शास्ति लगाए जाने पर, वेतन को वेतन मैट्रिक्स में उसी स्तर में ठीक निचले प्रकोष्ठ में निर्धारित किया जाएगा। अन्य शब्दों में, एक स्तर द्वारा अवनति के मामले में संशोधित वेतन अंतिम वेतनवृद्धि से पहले के स्तर में उसी लेवल में आहरित वेतन होगा।

टिप्पणीः उपर्युक्त शास्ति न्यूनतम स्तर में वेतन आहरित करने वाले किसी सरकारी सेवक पर नहीं लगाई जा सकती।

<u>ख. वेतनवृद्धि रोकना {नियम 11 (iv)}</u>

जैसाकि उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लेख किया गया है, वेतनवृद्धि पात्रता के अनुसार प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी या 1 जुलाई को प्रदान की जाती है। अतः, वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति लगाए जाने पर, शास्ति लगाए जाने की तारीख के पश्चात् देय अगली वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) रोक ली जाएंगी। यदि एक से अधिक वेतनवृद्धियां रोकने की शास्ति लगाई जाती है तब आगामी वर्षों में 1 जनवरी या 1 जुलाई, जो भी मामला हो, को देय वेतनवृद्धियां समानरूप से रोक ली जाएंगी। शास्ति की अवधि के समाप्त होने पर वेतनवृद्धि पुनः लागू हो जाएगी। वेतनवृद्धि फिर से चालू होने पर, वेतनवृद्धियां बकाया राशि (एरिअर) के बिना तथा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को प्रभावित किए बिना कल्पित आधार पर प्रदान की जाएंगी।

यह ऐसे मामलों पर भी लागू होता है जहां शास्ति एक वर्ष के भाग के लिए अधिरोपित की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सरकारी सेवक पर अक्तूबर, 2017 में छह माह के लिए एक वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाती है तो वेतनवृद्धि को रोकना निम्नलिखित तरीके से होगाः

जब वेतनवृद्धि की तारीख 1 जनवरी है	जब वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई है
1.01.2018 को देय होने वाली वेतनवृद्धि	1.07.2018 को देय होने वाली वेतनवृद्धि अगले

अगले छह माह की अवधि के लिए रोकी जाएगी, अर्थात् 30.6.2018 तक 1 वेतनवृद्धि बिना किसी बकाया राशि के 1.07.2018 को जारी की जाएगी।	छह माह की अवधि के लिए रोकी जाएगी, अर्थात् 31.12.2018 तक 1 वेतनवृद्धि बिना किसी बकाया राशि के 01.01.2018 को जारी की जाएगी।

(ग) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन समयमान में एक निचले स्तर की अवनति (नियम11 (IV))

नियम 11 (III-क) के अंतर्गत ऊपर परिभाषित की गई एक चरण की अवनति के अधिरोपण की प्रक्रिया वेतन मैट्रिक्स में वेतन के समान स्तर में निचले उर्ध्व कोष्ठ (सेल) में अवनति के प्रत्येक अतिरिक्त चरण के लिए दोहराई जाएगी।

टिप्पणी 1: इस नियम के अंतर्गत किसी शास्ति का अधिरोपण स्वीकार्य नहीं होगा, यदि शास्ति अधिरोपण के पश्चात् वेतन उस स्तर के प्रथम कोष्ठ (सेल) से नीचे होगा।

टिप्पणी 2: अनुशासनिक प्राधिकारी शास्ति की मात्रा अर्थात् उतने चरणों की संख्या जितने की अवनति वेतन में की जानी है, का निर्धारण करने से पहले सभी कारकों का मूल्यांकन करेगा।

घ. <u>नियम 11 (IV) के अंतर्गत वेतन के निचले समयमान में अवनति</u>

वेतन के निचले समयमान में अवनति की शास्ति के अधिरोपण के मामले में, सरकारी सेवक के वेतन को वेतन के उस चरण तक अवनति की जाएगी जितना वेतन उसे मिल रहा होता यदि वह शास्ति की अवधि हेतु निचले पद पर कार्यरत बना रहा होता। इस मामले में वेतन नियतन का तरीका, पदोन्नति पर वेतन नियतन के तरीके को उल्टा करने के समान है।

तथापि, मूल नियम 28 के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी को यह इंगित करने की शक्ति है कि उस सरकारी सेवक को कितना वेतन मिलेगा जिस पर रैंक में अवनति की शास्ति अधिरोपित की गयी है।

यह भी उल्लेखनीय है किसी सरकारी सेवक को किसी ऐसे पद की रैंक में पदावनत नहीं किया जा सकता है जो उसके द्वारा उस संवर्ग में धारित न किया गया हो।

<u>उदाहरणार्थ:</u>

(i) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किए गए किसी सहायक अनुभाग अधिकारी को वरिष्ठ सचिवालय सहायक/कनिष्ठ सचिवालय सहायक जैसी रैंक में पदावनत नहीं किया जा सकता है।

(ii) अवर श्रेणी लिपिक/कर सहायक आदि जैसे किसी पद को धारण करने वाले किसी सरकारी सेवक को, जो सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण करता है तथा तत्पश्चात् अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया जाता है, सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) (सीधी भर्ती) से पहले धारित रैंक में पदावनत नहीं किया जा सकता है लेकिन केवल सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर ही पदावनत किया जा सकता है।

5. उपर्युक्त मामले के संबंध में वेतन नियतन से संबंधित कुछ उदाहरण संलग्न हैं।

6. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कार्मिकों का संबंध है, ये अनुदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात् जारी किए जा रहे हैं।

(सतीश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव (मानक सूची के अनुसार)

प्रति प्रेषितः

1. राष्ट्रपति सचिवालय ,नई दिल्ली।
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय ,नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय ,नई दिल्ली
4. मंत्रिमंडल सचिवालय ,नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ,नई दिल्ली।
7. सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग।
8. सचिव ,संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
9. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत सभी संबद्ध कार्यालय।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली।
12. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
13. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली।
14. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली।
15. सभी मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)।
16. एडीजी (एम ऐंड सी), प्रेस सूचना ब्यूरो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।
17. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली उक्त को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर [अधिसूचनाएं>>कार्यालय ज्ञापन और आदेश >> स्थापना >> सीसीएस (सीसीए नियम) एवं ; 'नया क्या है' शीर्ष के अंतर्गत अपलोड करने हेतु]

(सतीश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

उदाहरण

वेतन के समयमान में निचले चरण की अवनति

उदाहरण

	स्तर (लेवल)	सेल	वेतन
शास्ति की तारीख पर	9	7	63300 रुपये
1 चरण की अवनति	9	6	61500 रुपये
2 चरण की अवनति	9	5	59700 रुपये
3 चरण की अवनति	9	4	58000 रुपये
4 चरण की अवनति	9	3	56300 रुपये
5 चरण की अवनति	9	2	54700 रुपये

उदाहरण-2

	स्तर	सेल	वेतन
शास्ति की तारीख पर	9	3	56300 रुपये
1 चरण की अवनति	9	2	54700 रुपये
2 चरण की अवनति	9	1	53100 रुपये
3 चरण की अवनति	**	**	**
4 चरण की अवनति			
5 चरण की अवनति			

** उपर्युक्त उदाहरण में, दो चरणों से अधिक की अवनति की शास्ति उस स्तर के प्रथम कोष्ठ (सेल) से नीचे होगी, इसलिए ऐसी शास्ति क्रियान्वयन योग्य नहीं होगी। अतएव, केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 11 (V) के अंतर्गत वेतन के समयमान में निचले चरण की अवनति की शास्ति को अधिरोपित करते समय, अनुशासनिक प्राधिकारी शास्ति की मात्रा अर्थात् वेतन में की जाने वाली अवनति के चरणों की संख्या, का निर्धारण करने से पहले सभी कारकों का मूल्यांकन करे।

मामला सं. 1

(i) मामला 1 : [नियम 11 (iiiक) के अधीन शास्ति] निचले स्तर पर अवनति

एक सरकारी सेवक पर संचयी प्रभाव के बिना और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए दिनांक 13.08.2017 से एक वर्ष की अवधि के लिए उसके वेतन समय मान में एक चरण निचले स्तर पर अवनति करने की शास्ति अधिरोपित की गई है। सरकारी सेवक वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में रु. 50500 आहरण कर रहा है। उसका वेतन निम्नलिखित रीति से निर्धारित किया जाएगा:-

	जब वेतनवृद्धि की तारीख 1 जनवरी है।	जब वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई है।
शास्ति अधिरोपित किए जाने के समय वेतन,	रु. 50500 (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ)	रु. 50500 (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ)
दिनांक 13.08.2017 से प्रभावी अवनत वेतन (दिनांक 13.08.2017 से दिनांक 12.08.2018 तक करेंसी अवधि के दौरान वेतन)	रु. 49000 (स्तर 7 का चौथा प्रकोष्ठ)	रु. 49000 (स्तर 7 का चौथा प्रकोष्ठ)
वेतनवृद्धि (कल्पित)	**दिनांक 1 जनवरी, 2018 को** **रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ)**	**दिनांक 1 जुलाई, 2018 को** **रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ)**
दिनांक 13.08.2018 से प्रभावी वेतन	रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ) दिनांक 01.01.2019 से देय वेतनवृद्धि के बाद उसका वेतन 53600 (स्तर 7 का 7वां प्रकोष्ठ) होगा।	रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ) दिनांक 01.07.2019 से देय वेतनवृद्धि आहरित करने के बाद उसका वेतन 53600 (स्तर 7 का 7वां प्रकोष्ठ) होगा।

मामला सं. 2

(i) मामला 2 : [नियम 11 (iiiक) के अधीन शास्ति] निचले स्तर पर अवनति

एक सरकारी सेवक पर संचयी प्रभाव के बिना और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए दिनांक 13.08.2017 से दो वर्ष की अवधि के लिए उसके वेतन समय मान में एक चरण निचले स्तर पर अवनति करने की शास्ति अधिरोपित की गई है। सरकारी सेवक वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में रु. 50500 आहरण कर रहा है। उसका वेतन निम्नलिखित रीति से निर्धारित किया जाएगा।

	जब वेतनवृद्धि की तारीख 1 जनवरी है।	जब वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई है।
शास्ति अधिरोपित किए जाने के समय वेतन,	रु. 50500 (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ)	रु. 50500 (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ)
दिनांक 13.08.2017 से प्रभावी अवनत वेतन (दिनांक 13.08.2017 से दिनांक 12.08.2019 तक करेंसी अवधि के दौरान वेतन)	रु. 49000 (स्तर 7 का चौथा प्रकोष्ठ)	रु. 49000 (स्तर 7 का चौथा प्रकोष्ठ)
वेतनवृद्धि (कल्पित)	**दिनांक 1 जनवरी, 2018 को** **रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ)** **दिनांक 1 जनवरी, 2019 को** **रु. 53600 (स्तर 7 का 7वां प्रकोष्ठ)**	**दिनांक 1 जुलाई, 2018 को** **रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ)** **दिनांक 1 जुलाई, 2019 को** **रु. 53600 (स्तर 7 का 7वां प्रकोष्ठ)**
दिनांक 13.08.2019 से प्रभावी वेतन	रु. 53600 (स्तर 7 का 7वां प्रकोष्ठ) दिनांक 01.01.2020 से देय वेतनवृद्धि के बाद उसका वेतन 55200 (स्तर 7 का 8वां प्रकोष्ठ) होगा।	रु. 53600 (स्तर 7 का 7वां प्रकोष्ठ) दिनांक 01.07.2020 से देय वेतनवृद्धि आहरित करने के बाद उसका वेतन 55200 (स्तर 7 का 8वां प्रकोष्ठ) होगा।

मामला सं. 3

(iii) मामला 3: वेतन वृद्धि को रोकना **[नियम 11(iv)** के अंतर्गत शास्ति**]**

दिनांक 13.08.2017 को सरकारी सेवक पर दो वर्षों की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि की रोक लगाने की शास्ति अधिरोपित की गई। सरकारी सेवक वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में रूपए 50500 का आहरण कर रहा है। उसका वेतन निम्नलिखित रीति से निर्धारित किया जाएगा:-

	जब वेतन वृद्धि की तारीख 01 जनवरी है।	जब वेतन वृद्धि की तारीख 01 जुलाई है।
शास्ति अधिरोपित किए जाने अर्थात दिनांक 13.08.2017 को वेतन	रू. 50500 [स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ]	रू. 50500 [स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ]
करेंसी अवधि के दौरान वेतन	दिनांक 01.01.2018 को देय वेतन वृद्धि 02 वर्षों की अवधि अर्थात 31.12.2019 के लिए रोकी जाएगी इस प्रकार, दिनांक 13.08.2017 से प्रभावी वेतन निम्नानुसार होगा: (i) 13.08.2017 से 31.12.2017 तक वेतन रू. 50500 [स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ] होगा। (ii) 1.01.2018 से 31.12.2018 तक वेतन रू. 50500 [स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ] होगा। [शास्ति अधिरोपित किए जाने के कारण] (iii) 1.01.2019 से 31.12.2019 तक वेतन रू. 52000 [स्तर 7 का 6वां प्रकोष्ठ]	01.07.2018 को देय वेतन वृद्धि दो वर्षों अर्थात 30.06.2020 के लिए रोकी जाएगी। इस प्रकार, दिनांक 13.08.2017 से प्रभावी वेतन निम्नानुसार होगा: (i) 13.08.2017 से 30.06.2018 तक वेतन रू. 50500 [स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ] होगा। (ii) 1.07.2018 से 30.06.2019 तक वेतन रू. 50500 [स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ] होगा। [शास्ति अधिरोपित किए जाने के कारण] (iii) 1.07.2019 से 30.06.2020 तक वेतन रू. 52000 [स्तर 7 का 6वां प्रकोष्ठ]
वेतन वृद्धि (कल्पित)	**दिनांक 1 जनवरी, 2018** **रू. 52000** [स्तर 7 का 6वां प्रकोष्ठ] **दिनांक 1 जनवरी, 2019** **रू. 53600** [स्तर 7 का 8वां प्रकोष्ठ]	**दिनांक 1 जुलाई, 2018** **रू. 52000** [स्तर 7 का 6वां प्रकोष्ठ] **दिनांक 1 जुलाई, 2019** **रू. 53600** [स्तर 7 का 8वां प्रकोष्ठ]
करेंसी अवधि के बाद का वेतन	दिनांक 1.01.2020 से = रू. 55200 [स्तर 7 का 8वां प्रकोष्ठ]	दिनांक 1.07.2020 से = रू. 55200 [स्तर 7 का 8वां प्रकोष्ठ]
करेंसी अवधि	**13.08.2017 से 31.12.2019 तक**	**13.08.2017 से 30.06.2020 तक**

मामला सं. 4

(iv) मामला **4:** वेतन वृद्धि को रोकना **[नियम 11(iv) के अंतर्गत शास्ति]**

दिनांक 13.08.2017 को सरकारी सेवक पर छः माह की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित की जाती है।। सरकारी सेवक वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में रूपए 50500 का आहरण कर रहा है। उसका वेतन निम्नलिखित रीति से निर्धारित किया जाएगा।

	जब वेतन वृद्धि की तारीख 01 जनवरी है।	जब वेतन वृद्धि की तारीख 01 जुलाई है।
शास्ति अधिरोपित किए जाने अर्थात दिनांक 13.08.2017 को वेतन	रू. 50500 [स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ]	रू. 50500 [स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ]
करेंसी अवधि के दौरान वेतन	दिनांक 01.01.2018 को देय वेतन वृद्धि रोकी जाएगी अर्थात 30.06.2018 तक रोकी जाएगी। इस प्रकार, दिनांक 13.08.2017 से 30.06.2018 तक वेतन = रू. 50500 [स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ]	दिनांक 01.07.2018 को देय वेतन वृद्धि रोकी जाएगी अर्थात 31.12..2018 तक रोकी जाएगी। इस प्रकार, दिनांक 13.08.2017 से 31.12.2018 तक वेतन = रू. 50500 [स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ]
वेतन वृद्धि (कल्पित)	**दिनांक 1 जनवरी, 2018** **रू. 52000** [स्तर 7 का 6वां प्रकोष्ठ]	**दिनांक 1 जुलाई, 2018** **रू. 52000** [स्तर 7 का 6वां प्रकोष्ठ]
करेंसी अवधि के बाद का वेतन	दिनांक 1.07.2018 से = **रू. 52000** [स्तर 7 का 6वां प्रकोष्ठ] {दिनांक 01.01.2019 अर्थात वेतन वृद्धि की अगली तारीख से वेतन रू. 53600 होगा [स्तर 7 का 7वां प्रकोष्ठ]}	दिनांक 1.01.2019 = **रू. 52000** [स्तर 7 का 6वां प्रकोष्ठ] {दिनांक 01.07.2019 अर्थात वेतन वृद्धि की अगली तारीख से वेतन रू. 53600 होगा [स्तर 7 का 7वां प्रकोष्ठ]}
करेंसी अवधि	**13.08.2017 से 30.06.2018 तक**	**13.08.2017 से 31.12.2018 तक**

मामला सं. 5

(v) मामला 5 : संचयी प्रभाव के बिना निचले स्तर पर अवनति [नियम 11(V) के अधीन शास्ति]

सरकारी सेवक पर दिनांक 13.08.2017 से एक वर्ष की अवधि के लिए उसके वेतनमान समय में दो स्तरों तक एक निचले स्तर अवनति करने की शास्ति अधिरोपित की गई है। इसके अतिरिक्त यह निदेश दिया जाता है कि अवधि के दौरान सरकारी सेवक को वेतनवृद्धि मिलेगी और उनके भविष्य के वेतनवृद्धि को यह अवनति स्थगित नहीं करेगी। सरकारी सेवक वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में रु. 50500 आहरण कर रहा है। उसका वेतन निम्नलिखित रीति से निर्धारित किया जाएगा।

	जब वेतनवृद्धि की तारीख 1 जनवरी है।	जब वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई है।
शास्ति अधिरोपित किए जाने के समय वेतन	रु. 50500 (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ)	रु. 50500 (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ)
करेंसी अवधि के दौरान वेतन में अवनति दिनांक 13.08.2017 से दिनांक 12.08.2018 तक प्रभावी	(i)दिनांक 13.08.2017 से दिनांक 31.12.2017 तक अवनत वेतन रु. 47600 होगा (स्तर 7 का तीसरा प्रकोष्ठ) (ii) वेतन वृद्धि आहरित करने के पश्चात दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 12.08.2018 तक के लिए वेतन 49000 होगा (स्तर 7 का चौथा प्रकोष्ठ)	(i) दिनांक 13.08.2017 से दिनांक 30.06.2018 तक अवनत वेतन रु. 47600 होगा (स्तर 7 का तीसरा प्रकोष्ठ) (ii)वेतन वृद्धि आहरित करने के पश्चात दिनांक 01.07.2018 से दिनांक 12.08.2018 तक के लिए वेतन 49000 होगा (स्तर 7 का चौथा प्रकोष्ठ)
वेतनवृद्धि (कल्पित)	**दिनांक 1 जनवरी, 2018 को** **रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ)**	**दिनांक 1 जुलाई, 2018 को** **रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ)**
शास्ति पूरा होने पर वेतन (दिनांक 13.08.2018 से प्रभावी)	रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ)	रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ)
अगली वेतन वृद्धि	दिनांक 01.01.2019 से देय वेतनवृद्धि आहरित करने के बाद उसका वेतन 53600 (स्तर 7 का सातवां प्रकोष्ठ) होगा।	दिनांक 01.07.2019 से देय वेतनवृद्धि आहरित करने के बाद उसका वेतन 53600 (स्तर 7 का सातवां प्रकोष्ठ) होगा।

मामला सं. 6

(vi) मामला 6 : संचयी प्रभाव के बिना निचले स्तर पर अवनति [नियम 11(V) के अधीन शास्ति]

सरकारी सेवक पर दिनांक 13.08.2017 से एक वर्ष की अवधि के लिए उसके वेतनमान समय में दो स्तरों तक एक निचले स्तर पर अवनति करने की शास्ति अधिरोपित की गई है। इसके अतिरिक्त यह निदेश दिया जाता है कि अवधि के दौरान सरकारी सेवक को **वेतनवृद्धि नहीं मिलेगी** और **उनकी भविष्य की वेतनवृद्धि को यह अवनति स्थगित नहीं करेगी**। सरकारी सेवक वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में रु. 50500 आहरण कर रहा है। उसका वेतन निम्नलिखित रीति से निर्धारित किया जाएगा।

	जब वेतनवृद्धि की तारीख 1 जनवरी है।	जब वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई है।
शास्ति अधिरोपित किए जाने के समय वेतन	रु. 50500 (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ)	रु. 50500 (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ)
दिनांक 13.08.2017 से प्रभावी अवनत वेतन	रु. 47600 (स्तर 7 का तीसरा प्रकोष्ठ)	रु. 47600 (स्तर 7 का तीसरा प्रकोष्ठ)
करेंसी अवधि के दौरान वेतन	**दिनांक 13.08.2017 से दिनांक 12.08.2018 तक वेतन रु. 47600 होगा (स्तर 7 का तीसरा प्रकोष्ठ)**	**दिनांक 13.08.2017 से दिनांक 12.08.2018 तक वेतन रु. 47600 होगा (स्तर 7 का तीसरा प्रकोष्ठ)**
वेतनवृद्धि (कल्पित)	**दिनांक 1 जनवरी, 2018 को** **रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ)**	**दिनांक 1 जुलाई, 2018 को** **रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ)**
दिनांक 13.08.2018 से प्रभावी वेतन	रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ) रु. 53600 (स्तर 7 का सातवां प्रकोष्ठ) (दिनांक 01.01.2019 से प्रभावी)	रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ) रु. 53600 (स्तर 7 का सातवां प्रकोष्ठ) (दिनांक 01.07.2019 से प्रभावी)

मामला सं. 7

(vii). मामला 7 : संचयी प्रभाव सहित निचले स्तर में अवनति (नियम 11(v) के तहत शास्ति)।

सरकारी सेवक पर एक वर्ष की अवधि के लिए वेतन समय-मान में दो चरणों तक निचले स्तर में अवनति की शास्ति दिनांक 13.08.2017 से अधिरोपित की गई है। आगे यह भी निदेश दिया जाता है कि सरकारी सेवक इस अवधि के दौरान वेतनवृद्धि अर्जित नहीं करेगा और इस अवनति से आगे की वेतनवृद्धियां आस्थगित होगी। सरकारी सेवक वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में 50,500/-रुपए आहरित कर रहा है। वेतन निम्नलिखित रीति से नियत किया जाएगा:

	जब वेतनवृद्धि की तरीख 01 जनवरी हो	जब वेतनवृद्धि की तरीख 01 जुलाई हो
शास्ति लगाई जाने के साथ वेतन	50,500/-रुपए (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ)	50,500/-रुपए (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ)
13.08.2017 से अवनत वेतन	47,600/-रुपए (स्तर-7 का तीसरा प्रकोष्ठ)	47,600/-रुपए (स्तर-7 का तीसरा प्रकोष्ठ)
करेंसी अवधि के दौरान वेतन	13.08.2017 से 12.08.2018 तक वेतन 47,600/- रुपए होगा (स्तर-7 का तीसरा प्रकोष्ठ)।	13.08.2017 से 12.08.2018 तक वेतन 47,600/- रुपए होगा (स्तर-7 का तीसरा प्रकोष्ठ)।
वेतनवृद्धि (कल्पित)	शास्ति की अवधि के दौरान कोई वेतनवृद्धि नहीं।	शास्ति की अवधि के दौरान कोई वेतनवृद्धि नहीं।
13.08.2018 को शास्ति अवधि पूरी होने पर वेतन	चूंकि उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए भावी वेतनवृद्धि को आस्थगित किया जाना है, इसलिए शास्ति पूर्व वेतन पर कोई वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी और पुन:स्थापन पर वेतन 50,500/- रुपए ही रहेगा (स्तर-7 का 5वां प्रकोष्ठ)	चूंकि उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए भावी वेतनवृद्धि को आस्थगित किया जाना है, इसलिए शास्ति पूर्व वेतन पर कोई वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी और पुन:स्थापन पर वेतन 50,500/- रुपए ही रहेगा (स्तर-7 का 5वां प्रकोष्ठ)
अगली वेतनवृद्धि	अगली वेतनवृद्धि 01.01.2019 से देय होगी और इससे उनका वेतन बढ़कर 52000/- होगा (स्तर-7 का छठा प्रकोष्ठ)	अगली वेतनवृद्धि 01.07.2019 से देय होगी और इससे उनका वेतन बढ़कर 52000/- होगा (स्तर-7 का पांचवा प्रकोष्ठ)

मामला सं. 8

(viii). मामला 8 : वेतन/ग्रेड के निचले समय-मान में अवनति।

स्तर-9 के सरकारी सेवक पर 04.11.2018 से दो वर्ष की अवधि के लिए स्तर-8 के निचले ग्रेड में अवनति संबंधी शास्ति लगाई गई है, आगे भी यह निदेश है कि इस अवनति से उसकी आगे की वेतनवृद्धियां आस्थगित नहीं होगी और इस अवधि के समाप्त होने पर वह उच्चतर ग्रेड में अपनी मूल वरिष्ठता पुन: प्राप्त करेगा।

दिनांक 04.11.2018 को, सरकारी सेवक वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 में 58000/- रुपए आहरित कर रहा है। सरकारी सेवक को 13.08.2016 को वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 के पद से स्तर-9 के पद में पदोन्नत किया गया था और पदोन्नति पर उसका वेतन 54700/- रुपए नियत किया गया था। पदोन्नति के समय उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में 52000/- रुपए था।

इस मामले में स्तर-8 में वेतन 04.11.2018 से 03.11.2020 तक नियत किए जाने की आवश्यकता होगी मानो उसने स्तर-8 में वेतन जारी रखा हो। वेतन निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:

तारीख	स्तर-9	स्तर-8
13.08.2016	54700 (स्तर-9 में दूसरा प्रकोष्ठ)	52000 (स्तर-8 में चौथा प्रकोष्ठ)[@]
01.07.2017	56300 (स्तर-9 में तीसरा प्रकोष्ठ)	53600 (स्तर-8 में पांचवा प्रकोष्ठ)[@]
01.07.2018	58000 (स्तर-9 में चौथा प्रकोष्ठ)	55200 (स्तर-8 में छठवां प्रकोष्ठ)[@]
03.11.2018	58000 (स्तर-9 में चौथा प्रकोष्ठ)	
04.11.2018 (शास्ति आदेश की तारीख)		55200 (स्तर-8 में छठा प्रकोष्ठ) (शास्ति लगाने के पश्चात)
दिनांक 04.11.2018 से 03.11.2020 तक की करेंसी अवधि के दौरान वेतन		(i). 04.11.2018 से 30.06.2019 तक की अवधि के दौरान अवनत वेतन 55200/- रुपए (स्तर-8 में छठा प्रकोष्ठ) होगा (ii). 01.07.2019 से 30.06.2020 के दौरान वेतन 56900/- रुपए (स्तर-8 में सातवां प्रकोष्ठ) होगा (iii). 01.07.2020 से 03.11.2020 तक वेतन 58600/- रुपए (स्तर-8 में आठवां प्रकोष्ठ) होगा
करेंसी अवधि के दौरान कल्पित वेतन	01 जुलाई, 2019 को 59700/- रुपए (स्तर-9 में पांचवा प्रकोष्ठ) 01 जुलाई, 2020 को 61500/- रुपए (स्तर-9 में छठा प्रकोष्ठ)	
04.11.2020 (शास्ति अवधि पूरी होने के पश्चात)	61500/- रुपए (स्तर-9 में छठा प्रकोष्ठ)	
अगली वेतनवृद्धि 01.07.2021	63300/- रुपए (स्तर-9 में सातवां प्रकोष्ठ)	

टिप्पणी :

1. [@]13.08.2016 से 03.11.2018 तक स्तर-8 में कल्पित वेतन।

2. एफआर-28 के तहत वह प्राधिकारी जो सरकारी सेवक का उच्चतर ग्रेड अथवा पद से निचले ग्रेड अथवा पद पर शास्ति के रूप में अवनति आदेश देगा, उसे किसी भी चरण पर वेतन आहरित करने की अनुमति दे सकता है, जो निचले ग्रेड अथवा पद के अधिकतम से अधिक नहीं होगा, जिसे वह उचित समझता हो। बशर्ते यह कि सरकारी सेवक द्वारा आहरित किए जाने की अनुमति दिया वेतन उस वेतन से अधिक नहीं होगा जिसे वह एफआर-26 के खण्ड (ख) अथवा (ग), जैसा भी मामला हो, के साथ पठित एफआर 22 के लागू होने के कारण आहरित कर रहा होता। यह उदाहरण उस स्थिति के लिए है जहां ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया हो। जहां अनुशासनिक प्राधिकारी ने निचले पद में आहरित किए जाने वाले वेतन का विशेष रूप से उल्लेख किया है तो वेतन उन निदेशों के अनुसार आहरित किया जाएगा।